सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्यप्रदेश

पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड-**3**, भोपाल, पिनकोड-**462016**

ई-मेल:- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/934363/ I/903034/2026 भोपाल, दिनांक 24-03-2026

प्रति,

कलेक्टर,
जिला हरदा।

विषय:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रक्रमांक/824663/2026 दिनांक 17-03-2026

---0----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदन में जिस जिले की समग्र आई.डी. है उस जिले से ही हितग्राही को भुगतान की कार्यवाही की जाना है अथवा शासन द्वारा जारी पूर्व पत्र दिनांक 03-05-2018 अनुसार जिस जिले से कल्याणी का पुनर्विवाह सम्पन्न हुआ है उस जिले से ही हितग्राही को लाभ प्रदाय किया जाना है।

म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा पत्र क्रमांक/ 305/2025/26-2 दिनांक 17-4-2025 में किये गये लेख अनुसार विवाह पोर्टल पर निम्नानुसार प्रावधान कराया गया है :-

1. आवेदिका द्वारा आवेदन स्वयं एवं पति के समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी के उपरांत ही किया जा सकता है। अर्थात् महिला एवं पति दोनो का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी अनिवार्य है।
2. समग्र पोर्टल पर महिला एवं उसके पति की वैवाहिक स्थिति का विवाहित होना अनिवार्य है।
3. महिला एवं पति की समग्र परिवार आईडी एक ही होना अनिवार्य है।
4. आवेदन करते समय आवेदिका द्वारा समस्त दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, बैंक की पासबुक, फोटो इत्यादि को अपलोड किया जाता है।
5. आवेदिका केवल उसी जिलें में आवेदन कर सकती है, जिस जिलें में महिला एवं पति की परिवार आईडी है।

चूकिं आवेदन करने के उपरांत आवेदन-पत्र उसी जिला अधिकारी के लॉगईन पर प्रदर्शित होता है, जहां वर्तमान में समग्र आईडी है, अत: जिला अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का परीक्षण व आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन कराकर नियमानुसार पोर्टल पर स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही किया जाना चाहिये। विभाग की समस्त योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी अनिवार्य होने के कारण डुप्लिकेट भुगतान की संभावना नहीं है।

शासन द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार समस्त जिलों को कल्याणी विवाह के आवेदनों को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने एवं भुगतान करने के संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है:-

"कल्याणी के पुनर्विवाह करने के उपरान्त महिला उसके पति के साथ वर्तमान में जिस जिलें में निवासरत है अर्थात् समग्र परिवार आईडी है, उसी जिले के जिला अधिकारी द्वारा महिला के आवेदन का नियमानुसार निराकरण कराया जाकर भुगतान की कार्यवाही की जाये।"

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

Digitally signed by
Pramila Waikar
Date: 24-03-2026
15:45:53

PRAMILA WAIKAR
DEPUTY DIRECTOR
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/934363/ I/903034/2026 भोपाल, दिनांक 24-03-2026

प्रतिलिपि:-

1- निज सहायक, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र. की सूचनार्थ।

2- समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश (हरदा जिले को छोड़कर) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र. की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कलेक्टर जिला हरदा से प्राप्त पत्र के आधार पर कल्याणी विवाह सहायता के प्रकरणों का निराकरण करने हेतु पत्र में उल्लेख अनुसार यह मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।

उप संचालक (सामा.सहा.)
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश